अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2023

1. प्रस्तावना

1.1 अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। एनएचपीसी की अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2023 का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपने व्यवसाय संचालन से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है।

1.2 **नीति वृतांत:**

"एनएचपीसी लिमिटेड, सरकार द्वारा लागू अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप नैतिक प्रथाओं के माध्यम से कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रयासरत है।"

2. परिचय

2.1 संकटजनक और गैर-संकटजनक, बायोमेडिकल, ठोस एवं ई-अपशिष्ट सहित सभी प्रकार के अपशिष्ट का प्रबंधन और निपटान, पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंश है।

2.2 एनएचपीसी लिमिटेड की अपनी एक ई-अपशिष्ट नीति उपलब्ध है।

2.3 एनएचपीसी की अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2023, कंपनी की कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के माध्यम से प्रदर्शित प्रतिबद्धता का एक आयाम है, जो संगठन के दृष्टिकोण और मिशन के साथ भी जुड़ा हुआ है।

3. उपादेयता

3.1 यह नीति एनएचपीसी लिमिटेड की सभी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।

4. उद्देश्य

यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है:

4.1. उत्पादन स्रोत पर ही अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने हेतु सफल प्रणालियों को अपनाना।

4.2. परियोजना में व्यवसाय संचालन गतिविधियों के सभी चरणों के दौरान सर्वोत्तम अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना।

4.3. विभिन्न गतिविधियों से निकलने वाले अपशिष्ट का उचित निपटान, निर्धारित प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुरूप सुनिश्चित करना।

4.4. तीन "आर" (रिड्यूस- कम उपयोग करें; रीयुज- पुन: उपयोग करें; रिसाइकल- पुनर्चक्रण) के सिद्धांत का पालन करना।

5. हमारी नीति

5.1 एनएचपीसी लिमिटेड के सभी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने संबंधित हितधारकों (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/ जिला प्रशासन और शहरी/ स्थानीय निकायों) के परामर्श और समन्वय से निवारक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन किया जायेगा।

5.2 प्रत्येक परियोजना/ पावर स्टेशन/ प्रतिष्ठान द्वारा प्रासंगिक नियमों के दायरे में रहकर अपशिष्ट निपटान में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

5.3 प्रतिष्ठित सरकारी संगठनों/ विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान केंद्रों/ गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली नवीनतम तकनीक को शामिल किया जाएगा।

5.4 निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न सभी मलबे का केवल पूर्व निर्धारित व पारित डंपिंग स्थलों पर ही निपटान किया जायेगा।

5.5 मलबे का निस्तारण, डंपिंग साइट की अनुमानित क्षमता के अनुसार व सावधानीपूर्वक किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि डंपिंग साइट्स से आसपास के जंगलों/ जल निकायों/ क्षेत्रों में मलबे का रिसाव नहीं हो या न फैले।

5.6 परियोजना निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न मलबे का, उनकी उपयुक्तता के अनुरूप विभिन्न क्रियाकलापों जैसे सड़क निर्माण, समुच्चय, निचले क्षेत्रों की भराई आदि कार्यों के माध्यम से पुनः उपयोग किया जायेगा।

5.7 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति/ जिला प्रशासन आदि के परामर्श से घरेलू ठोस अपशिष्ट का निपटान किया जाएगा। जहां तक संभव हो, जैविक कचरे को खाद में बदलने के समुचित उपाय किए जायेंगे, जो बाद में व्यावसायिक स्थानों पर उपयोग किए जाने के साथ-साथ स्थानीय लोगों में वितरित किये जायेंगे।

5.8 आवासीय कालोनी/ विद्युत गृह/ कार्यालय में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों/ दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा।

5.9 व्यावसायिक स्थानों पर ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिक कॉलोनियों और उनके विन्यास में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन उपायों को लागू किया जाएगा।

5.10 भारत सरकार/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के "सामान्य निस्सरण मानकों" का अनुपालन करते हुए केवल उपचारित अपशिष्ट जल को प्रवाहित किया जायेगा। किसी भी प्रतिष्ठान से अनुपचारित अपशिष्ट जल के सावधानीपूर्वक निपटान के लिए उचित सीवेज उपचार सुविधाएं, सोखने के गड्ढे, सेप्टिक टैंक आदि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

5.11 प्राकृतिक निकायों में प्रवाहित करने या किसी भी अन्य उपयोग में लाने से पहले; वर्कशॉप/ निर्माण स्थलों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को मानक मानदंडों के अनुसार सेटलिंग चैंबर्स/ सेडिमेंट टैंकों, तेल विभाजक और इन-सीटू उपचारों के माध्यम से पारगम्य किया जायेगा।

5.12 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट स्क्रैप सामग्री, धातु, अपशिष्ट तेल, बैटरी, परियोजना औषधालयों से जैव चिकित्सा अपशिष्ट आदि के निपटान के लिए उचित प्रबंधन प्रणालियों का अनुपालन किया जाएगा।

5.13 सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों, मजदूरों और परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों/ प्रतिष्ठानों, जैसा भी मामला हो, की गतिविधियों से जुड़े अन्य लोगों के संवेदीकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

5.14 भारत सरकार/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार अपने किसी भी प्रतिष्ठानों में 'सिंगल-यूज-प्लास्टिक' का उपयोग नहीं किया जायेगा।

6. मूल्यांकन और आंकलन

6.1 प्राधिकृत नोडल विभाग यानी 'पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग' द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह नीति कंपनी में सर्वत्र लागू की जाये।

6.2 परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों/ क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके संबंधित प्रमुखों द्वारा और कॉर्पोरेट स्तर पर ईएमएस विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. हितधारकों के लिए संचार सुविधा

7.1 अपशिष्ट प्रबंधन नीति पत्रक, एनएचपीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जायेंगे।

7.2 एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संस्थागत निवेशकों/ विक्रेताओं/ उधरदाताओं आदि के विचारों पर भी पर उचित ध्यान दिये जायेंगे।

8. जागरूकता और सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम

8.1 कंपनी के कर्मचारियों, अनुबंध श्रमिकों और टाउनशिप निवासियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देशों और प्रणालियों पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

9. सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन

9.1 एनएचपीसी लिमिटेड के सभी संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को उनकी उपयुक्तता के अनुसार इस नीति (अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2023) को अपनाने हेतु सूचित किया जाएगा।

10. अपशिष्ट प्रबंधन नीति की समीक्षा

10.1 आवश्यकता और अनुकूलता के अनुरूप, उपयुक्त संशोधन करने के उद्देश्य से, प्रत्येक पांच वर्ष में इस नीति की समीक्षा की जाएगी। हालाँकि, समय दर समय विकसित हो रहे व्यावसायिक पर्यावरण परिदृश्य के अनुसार, इसकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता के अनुरूप इस नीति की समीक्षा पहले भी की जा सकती है।

यह नीति, दिनांक 28.03.2023 से लागू होती है।

****